न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा0पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/278/2022	2022/480	01.11.2022	12.12.2022

1– मुकेश देवी पत्नी शमशेर जाति अहीर निवासी सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।
2– सतनाम पुत्र सुरजीत सिंह निवासी शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– कन्हैया पुत्र मेदसिंह जाति अहीर निवासी सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।
2– जीतोबाई पत्नी सुरजीत सिंह जाति रायसिख निवासी शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
3– रणधीर सिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति अहीर निवासी बनबीरपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।
4– राजेश कुमार पुत्र खडगीराम जाति अहीर निवासी सलारपुर तहसील तिजारा जिला अलवर।
5– सुमित्रा बाई पुत्री सुरजीत सिंह जाति रायसिख निवासी शाहपुर तहसील तिजारा जिला अलवर राज0।
6– तहसीलदार तिजारा जिला अलवर राज0।

–असल अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री लोकेश कुमार यादव –वकील प्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी तिजारा के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी मुकेश बनाम कन्हैया को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त अनुवानी प्रकरण जिसमें प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण की एकतरफा नहीं की है। पत्रावली गौर तामील लगा रखी है। प्रतिवादीगण प्रभावशाली राजनितिक व शक्तिशाली लोग है। पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण के कहे अनुसार तारीख पेशी लगाते है। मिल वादी द्वारा प्रतिवादी सं0 1 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर व उनके निवास पर कई बार देखा गया। प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादिज आराजी की मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया है। किन्तु प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर नहीं कर रहे है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा गांव में ऐलानिया कह दिया है कि हमने पीठासीन अधिकारी से अपना मेल कर लिया है। जिससे वो पीठासीन अधिकारी से एकतरफा की गयी पाबंदी को निरस्त करा देंगे। पीठासीन अधिकारी प्रतिवादीगण का पक्ष ले रहे है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायलय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

अप्रार्थी सं0 2 ने अपने जवाब में निवेदन किया कि मिन प्रतिवादी महिला है। जो किसी तरह से प्रभावशाली व राजनितिक महिला नहीं है। बल्कि अन्य प्रतिवादीगण कन्हैया रणधीर प्रभावशाली लोग है। जिन्होनें अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मेल रसुखात बना रखे है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। उक्त प्रकरण में कन्हैया व रणधीर अपने प्रभावशाली लोगों से प्रा0पत्र पेश करवाकर अपने फायदे के लिए पक्षकार बनाना चाहते

जिला कलक्टर, अलवर

है। उक्त दोनों शख्स स्थगन आदेश को निरस्त कराने की बात करते है तथा पीठासीन अधिकारी भी उक्त मुकदमें में नजदीक नजदीक की पेशीया और मुकदमें विशेष रूचि ले रहे है। अतः प्रा0पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल कर दिया जाता है तो मिन अप्रार्थी को कोई उज्र नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय-पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। दौराने बहस अप्रार्थी सं0 2 द्वारा उक्त राजस्व वाद को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। प्रथमदृष्ट्या प्रा0पत्र मुंतकिल न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विद्वान अभिभाषक व अप्रार्थी सं0 2 की जवाब/बहस के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद बअनुवानी मुकेश बनाम कन्हैया न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी तिजारा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी तिजारा एवं सहायक कलक्टर अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)